न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2018-00408RAAJodhpur2018-161RTA223 Chiridevi ors Vs Bhanwarlal etc

01. चिड़ीदेवी पत्नी पूनाराम
02. भंवरीदेवी पत्नी केहराराम
03. मुन्नीदेवी पत्नी आशाराम
04. पेमी पत्नी चैनाराम
05. सोहनीदेवी पत्नी सोनाराम
    सभी जातियान् जाट, निवासीगण– ग्राम एकलखोरी, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. भंवरलाल पुत्र गोपुराम
2. बरजु पत्नी गोपाराम
3. तुलछी पत्नी खेताराम
4. धनी पुत्री खेताराम
5. पप्पुराम पुत्र लखुराम
   जातियान् विश्नोई, निवासीगण– नेवा तहसील बाप, जिला जोधपुर।
6. सुखराम पुत्र लखुराम
7. ओमप्रकाश पुत्र लखुराम
8. सांवलराम पुत्र बलवंताराम
9. रामचन्द्र पुत्र बलवंताराम
10. बाबुराम पुत्र बलवंताराम
11. पेमी पत्नी रामुराम;फौतद्ध
    सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण– नेवा तहसील बाप, जिला जोधपुर।
12. तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 मई 2016 सहायक कलक्टर बाप राजस्व मूल वाद संख्या 78/2014 भंरलाल व अन्य बनाम सुखराम इत्यादि

उपस्थित–

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री भानू, अधिवक्ता रेस्पोडेंटस संख्या पांच से सात
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 12
शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 23 जनवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 78/2014 अनवान भवंरलाल व अन्य बनाम सुखराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 मई 2016 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 13 नवंबर 2018 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण व रेस्पोडेंट संख्या 06 से 10 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 149 रकबा 200 बीघा ग्राम नेवा तहसील बाप के संबंध में धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23 मार्च 2015 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश दिया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 मई 2016 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार नहीं किया गया है तथा न ही पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार किया गया है, इस तरह से नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है, जिस कारण निर्णय एवं अंतिम डिक्री अपास्त योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियॉ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही पत्रावली को केम्प कोर्ट में रखकर अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो अपास्त योग्य है। अपीलांट्स द्वारा प्राथमिक डिक्री के अनुरूप निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया किंतु विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री क विपरीत अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है जो अपास्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दौराने बहस अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विभाजन प्रस्ताव में चिडीदेवी वगैरह के कब्जे काश्त की भूमि रामचन्द्र वगैरह के कब्जे काश्त में रख दी गई है, जबकि मौके पर उभय पक्ष विभाजन प्रस्ताव में दर्शाये गये स्थान के विपरीत बैठे है। पक्षकारान् द्वारा वक्त विभाजन उक्त तथ्य पर ध्यान नहीं दिया जा सका। विभाजन प्रस्ताव के शेष भाग पर अपीलांट्स को कोई एतराज नहीं है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा के विपरीत अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। इस कारण अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। हाल ही में दिनांक 28.08.2018 को प्रत्यर्थीगण द्वारा मौके पर विवाद करने पर तथा अपीलांट्स को मौके से बेदखल करने की धमकी दिये जाने पर अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की दिनांक 20.09.2018 को प्रतिलिपि प्राप्त करने पर प्रथमबार अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का माफ किया जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 मई 2016 को अपास्त फरमाया जावे एवं मामला अधीनस्थ न्यायालय में विधिनुसार अंतिम डिक्री पुनः पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पालना में मौके पर पक्षकारान् चिड़ी देवी वगैरह के हिस्से के स्थान रामचन्द्र वगैरह के हिस्से की गलत तरमीम हो चुकी है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जावे एवं उक्त तरमीम दुरूस्ती हेतु मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रश्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अपीलांट्स का कथन है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 149 रकबा 150 बीघा के विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त चिड़ी देवी वगैरह के कब्जे काश्त के स्थान पर रामचन्द्र वगैरह का कब्जा काश्त दर्शा दिया गया है जो पक्षकारान् द्वारा वक्त विभाजन ध्यान नहीं दिया गया। जवाब में रेस्पो. पक्ष जो रामचन्द्र वगैरह के हिस्से से ताल्लुक रखता है, द्वारा भी उक्त तथ्य पर सहमति जतायी गई है तथा चिड़ी देवी वगैरह व रामचन्द्र वगैरह के कब्जे काश्त को मौके के विपरीत दर्शाया जाना माना है। लिहाजा उभय पक्ष की सहमति के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री को निरस्त किया जाकर मौके अनुसार पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना अदालत हाजा की राय में न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 78/2014 अनवान भवंरलाल व अन्य बनाम सुखराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 मई 2016 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष की उपस्थिति में चिड़ी देवी वगैरह एवं रामचन्द्र वगैरह के हिस्से में रखी गई भूमि के संबंध में पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब कर उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार वाद का निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोइ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर